न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी–प्रदीपसिंह सागावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या डिकी 250 सन 2016
पंजीयन दिनांक 28.7.2016

1.नंदलाल पिता गोपीलाल सेन निवासी–अरनियापंथ ।
2.कांताबाई पुत्री गोपीलाल सेन निवासी–अरनियापंथ ।
3.भयाबाई बेवा गोपीलाल सेन निवासी–अरनियापंथ तहसील व जिला–चित्तौडगढ ।

–अपीलांटस

विरूद्व

1.श्यामलाल पिता बालूराम सेन ।
2.सुनील पिता जगदीश सेन ।
3.पदमा पुत्री जगदीश सैन ।
4.रामकन्या बेवा जगदीश सैन ।
5.रमेशचन्द्र पिता बालूराम सैन ।
6.नारायणलाल पिता बालूराम मृतक के बजाय–
6/1श्रीमती लाडदेवी पत्नी स्व.नारायणलाल सैन ।
6/2किशनलाल पिता स्व.नारायणलाल सैन ।
6/3 विजयादेवी पुत्री स्व.नारायणलाल सैन ।
6/4कुसुमदेवी पुत्री स्व.नारायणलाल सैन ।
7.संलोक उर्फ संतोश पुत्री बालूराम सैन ।
8 प्रकाश पिता सत्यनारायण सैन ।
9.आनंद पिता सत्यनारायण सैन प्राकृतिक संरक्षक माता भयामबाई बेवा सत्यनारायणसैन
10.पूर्णिमा पुत्री सत्यनारायण सैन ।
11.श्यामाबाई बेवा सत्यनारायण सैन ।
12.कंचनबाई पुत्री किशनलाल सैन ।
13.पुश्पाबाई पुत्री किशनलाल सैन ।
14.सोसरबाई बेवा किशनलाल सैन ।
15.प्रभुलाल पिता बद्रीलाल सैन ।
16.रतनलाल पिता बद्रीलाल सैन ।
17.देवीलाल पिता बद्रीलाल सैन सभी निवासियान अरनियापंथ तहसील एवं जिला चित्तौडग्रढ ।
18.राज्य जरिये तहसीलदार चित्तौडगढ ।

–रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिकी सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ प्रकरण संख्या 45/2016 निर्णय दिनांक 30.6.2016

उपस्थित–श्री राकेशपुरी गोस्वामी –अधिवक्ता अपीलांट
श्री शिवलाल जाट–अधिवक्ता रेस्पो.1से6,8,9,10,11,14
श्री पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अधिवक्ता रेस्पो018

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

निर्णय **दिनांक 27.12.2023**

प्रकरण के तथ्य सक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांट ने एक वाद विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ के न्यायालय में राजस्थान का तकारी अधिनियम 1955 की धारा–88–188–53 के अन्तर्गत वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी कब्जेका त की कृशि भूमि ग्रम अरनियापंथ की खाता संख्या 406 में अंकित आराजी नम्बर 1188 मी0 1190,1191,1192मी 1193,1194,1195 किता 7 रकबा 1.20हैक्टेयर एवं खाता संश्या 407 में अंकित आराजी नम्बर 1159,1160,1161,1162,1163,1164,1164/1795 किता–7 रकबा 1.50हैक्टेयर के सबंध में पेश किया गया जो विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 30.6.2016 को वादीगण का वाद पत्र दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में खारिज कर दिया इससे असन्तुष्ट होकर वादीगण अपीलांट ने उक्त अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील दर्जरजिस्टर की गयी विपक्षीगण को जरिये नोटीस जारी किये जाकर उनकी ओर से अधिवक्ता उपस्थित होकर बहस की गयी ।

इस न्यायालय में अपील विचाराधीन रहते हुये रेस्पोडेन्ट संख्या 6 नारायणलाल पिता बालूराम की मृत्यु को जाने से उनके अधिवक्ता ने दिनांक 12.1.2018 को प्रार्थना–पत्र आदेश 22 नियम 4 प्रस्तुत किया गया न्यायहित में उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेन्ट06 के वारिसान को रिकार्ड पर लेने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

वकील अपीलांट ने वक्त बहस निवेदन किया गया कि विवादग्रस्त आराजियात का वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के पिता तथा प्रतिवादी सख्या 8से 14 के पिता ने अपने जीवनकाल में ही विभाजन कर लिया था इसी विभाजन के अनुसार रेल्वे सीमा में आराजी नम्बर 1188,1191,1192,1194 को रेल्वे लाईन हेतु अवाप्त किये जाने से अवार्ड जारी हुआ जिसमें काशीराम के तीनो पुत्र बालू, किशन गोपीलाल के आपसी इकरार अनुसार 0.26 हक्टैयर का मुआवजा राशि किशन ने एवं 0.07 हैक्टेयर की मुआवजा राशि वादीगण के पिता द्वारा आपसी सहमति से प्राप्त की गई जिससे वादीगण के पूर्व में हुये विभाजन अनुसार घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने की मांग की गयी प्रकरण जवाब एवं तामील हेतु नियत थापरन्तु विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली राजस्व शिविर अरनियापंथ में बिना किसी सुनवाई के वाद खारिज कर दिया गया जो विधि विरूद्व है ।अंत में उन्होने अपील मिमो में अंकित समस्त तथ्यों को पुनःदोहराते अपील अपील स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.6.2016 को निरस्त करने का अनुरोध करते हुये विकल्प में प्रकरण पुनःप्रतिप्रेशित करने का अनुरोध किया गया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने विचारण न्यायलय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री विधि अनुरूप होने से अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का अनुरोध किया गया ।

हमने उभ्यपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस सुनी ओर पत्रावली का अवलोकन कियागया । विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पाय गया कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय में अपीलार्थीगण वादीगण ने रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्व मौजा अरनियापंथ तहसील चित्तौडगढ की खाता संख्या 406 में अंकित आराजियात अपीलांटगण वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के पिता प्रतिवादीसंख्या 8 से 14 के पिता ने अपने जीवनकाल मे आपसी विभाजन कर लिया था पक्षकार उसी आपसी विभाजन के अनुसार हिस्से आयी भूमि पर काबीज होकर काश्त कर रहे है रेल्वे की सीमा आने वाली रेल्वे लाईन हेतु भूमि आवाप्ति अधिकारी चित्तौडगढ द्वार मि.न.8/87 से अवाप्त की जाकर अवार्ड जारी हुआ जिसमें काशीराम के तीनो पुत्र बालू, किशन गोपीलाल के आपसी इकरार अनुसार 0.26 है0 का मुआवजा किशन ने 0.07है0 का मुआवजा अपीलांटगण वादीगण के

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

पिता द्वारा आपसी सहमति से प्राप्त किया जिससे वादीगण पूर्व में हुये विभाजन अनुसार घोषणा कराने का अधिकारी है उक्त प्रकरण में राजस्व लोक अदालत में नियत किया जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करते हुये अपीलांटगण वादीगण का यह मानते हुये की पूर्व में बंटवाआ हो चुका है पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज अपीलांट वादीगण की ओर से प्रस्तुत नही हुआ है जिससे अपीलांट वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र साबित नही होना मानते हुये निरस्त किये जाने की निर्णय वडिकी पारित की गयी है जिसके विरुद्ध प्रस्तुत अपील में अपीलार्थीगण वादीगण की ओर ऐसाकोई दस्तावेज इस न्यायालय में अपील के विचाराधीन रहते हुये प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे की अपीलार्थीगण वादीगण का वादपत्र दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित होता हो जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 30.6.2016 विधि सम्मत होने से अपीलार्थीगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील सहवनीय नहीं होने से निरस्त योग्य है ।

अतः अपील अपीलांटगण वादीगण अस्वीकार की जाती है विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ के प्रकरण संख्या 2016 में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 30.6.2016 यथावत रखी जाती है । डिकी पर्चा जारी हों ।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2023 को खूले न्यायालय में सुनाया गया ।

(प्रदीपसिंह चुण्डावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ

संख्या 9

अपील में डिक्री

(आ. 41 नियम 35 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- प्रदीप सिंह सांगावत, (आर.ए.एस)

अपील सं.:- 250/2016/डिक्री

1.नंदलाल पिता गोपीलाल सेन निवासी–अरनियापंथ ।
2.कांताबाई पुत्री गोपीलाल सेन निवासी–अरनियापंथ ।
3.प्रेमबाई बेवा गोपीलाल सेन निवासी–अरनियापंथ तहसील व जिला–चित्तौडगढ ।

–अपीलांटस

विरूद्ध

1.प्रेमलाल पिता बालूराम सेन ।
2.सुनील पिता जगदीश सेन ।
3.पदमा पुत्री जगदीश सैन ।
4.रामकन्या बेवा जगदीश सैन ।
5.रमेशचन्द्र पिता बालूराम सैन ।
6.नारायणलाल पिता बालूराम मृतक के बजाय–
6/1श्रीमती लाडदेवी पत्नी स्व.नारायणलाल सैन ।
6/2किशनलाल पिता स्व.नारायणलाल सैन ।
6/3 विजयादेवी पुत्री स्व.नारायणलाल सैन ।
6/4कुसुमदेवी पुत्री स्व.नारायणलाल सैन ।
7.संतोक उर्फ संतोश पुत्री बालूराम सैन ।
8 प्रकाश पिता सत्यनारायण सैन ।
9.आनंद पिता सत्यनारायण सैन प्राकृतिक संरक्षक माता भयामबाई बेवा सत्यनारायणसैन
10.पूर्णिमा पुत्री सत्यनारायण सैन ।
11.श्यामाबाई बेवा सत्यनारायण सैन ।
12.कंचनबाई पुत्री किशनलाल सैन ।
13.पुश्पाबाई पुत्री किशनलाल सैन ।
14.सोसरबाई बेवा किशनलाल सैन ।
15.प्रभुलाल पिता बद्रीलाल सैन ।
16.रतनलाल पिता बद्रीलाल सैन ।
17.देवीलाल पिता बद्रीलाल सैन सभी निवासियान अरनियापंथ तहसील एवं जिला चित्तौडगढ ।
18.राज्य जरिये तहसीलदार चित्तौडगढ ।

–रेस्पोडेन्टस

विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चितौडगढ प्रकरण संख्या 45/2016 निर्णय व डिकी दिनांक 30.06.2016 वाद पत्र धारा 88,53व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात : अपील अपीलांटगण वादीगण अस्वीकार की जाती है विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ के प्रकरण संख्या 45/2016 में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 30.6.2016 यथावत रखी जाती है ।

इस अपील के खर्चे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है और जिनकी राशि 0 रूपये है........................ ...... द्वारा दिये जाने है। मूल वाद के खर्चे .... द्वारा दिये जाने हैं । यह आज दिनांक 27.12. 2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
चित्तौडगढ